MB-8

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

प्रखंड कार्यालय : बाबूबरही

निरीक्षण की तिथि : 18—12—2002

निरीक्षी पदा0 का नाम : डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 18-12-2002 को प्रखंड कार्यालय, बाबूबरही का किये गये निरीक्षण का अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

---

§1§ परिचय :-

इस प्रखंड की स्थापना वर्ष 1955 ई० में हुआ । पूर्व में यह खजौली प्रखंड में था । जिला मुख्यालय से यह प्रखंड उत्तर-पूरब पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है । जिला मुख्यालय से इस प्रखंड की दूरी लगभग 32 कि०मी० है । इस प्रखंड से दरभंगा प्रमण्डल की दूरी 67 कि०मी०, राज मुख्यालय की दूरी 125 कि०मी० एवं नेपाल सीमा 30 कि०मी० की दूरी पर स्थित है । निरीक्षण के समय अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही उपस्थित थे ।

इस प्रखंड से संबंधित अन्य सूचनाएँ निम्नप्रकार है :-

§क§ कुल जनसंख्या §वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार§ :- 1,73,752

पुरूष	:-	89,107
महिला	:-	84,645
कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या	:-	57,627
कुल पुरूष साक्षर की संख्या	:-	42,196
कुल महिला साक्षर की संख्या	:-	15,431

§ख§ चौहद्दी :-

उत्तर	:-	लदनियाँ प्रखंड
दक्षिण-पूरब	:-	अंधराठाढी प्रखंड
पूरब	:-	घुटौना प्रखंड
पश्चिम	:-	राजनगर प्रखंड ।

§ग§ प्रखंड का क्षेत्रफल :- 47,268.93 एकड़

§घ§ कुल कृषि योग्य भूमि :- 4,115.61 एकड़

§ड.§ कुल कृषकों की संख्या :- -

लगातार.....2/-

(च) कुल परिवारों की संख्या	:-	शून्य
(छ) सामान्य वर्षापात	:-	वर्षामापक यंत्र नहीं है ।
(ज) कुल राजस्व गाँव की संख्या	:-	63
(झ) कुल बेचिरागी गाँव की संख्या	:-	04
(ट) कुल हल्कों की संख्या	:-	10
(ठ) कुल पंचायतों की संख्या	:-	20
(ड) कुल थाना की संख्या	:-	01
(ढ) जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	:-	03
(त) ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	:-	274
(थ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	:-	01
(द) प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों की संख्या	:-	19
(ध) अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	:-	03
(न) पशु चिकित्सालय की संख्या	:-	01
(प) विद्युत सब स्टेशनों की संख्या	:-	01
(फ) राजकीय नलकूपों की संख्या	:-	-
(ब) निजी नलकूपों की संख्या	:-	-
(भ) व्यवसायिक बैंकों की संख्या	:-	03
(म) भूमि विकास बैंकों की संख्या	:-	शून्य
(य) सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंकों की संख्या	:-	01
(र) व्यापार मण्डल	:-	01
(ल) अनुमण्डलीय दूरसंचार की संख्या	:-	01

(व) प्रमुख नदी/बाँध की संख्या :-

(1) कमला बलान
(2) सोनी
(3) धौंकी ।

(श) मुख्य पर्यटन स्थल	:-	बलिराजगढ़
(ष) निकटतम रेलवे स्टेशन	:-	बरहारा ।

लगातार.....3/-

(त) महाविद्यालयों की संख्या	:-	01
(द) प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	:-	103
(थ) मध्य विद्यालयों की संख्या	:-	23
(त्र) उच्च विद्यालयों की संख्या	:-	07
(ज्ञ) कन्या उच्च विद्यालयों की संख्या	:-	01
(अ) कन्या मध्य विद्यालयों की संख्या	:-	01
(आ) प्राथमिक मकतब की संख्या	:-	08

(2) भवन :-

प्रखंड कार्यालय सरकारी भवन में अवस्थित है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रखंड भवन की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि बर्षात के मौसम में छत से बहुत पानी गिरने के फलस्वरूप कार्यालय का महत्वपूर्ण कागजात बर्बाद होता है। प्रखंड परिसर में स्थित आवासीय भवनों की स्थिति भी बहुत दयनीय है एवं मरम्मति की आवश्यकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रखंड कार्यालय एवं आवासीय भवनों की मरम्मति कराने की दिशा में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी से पत्राचार करें एवं पत्र की प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भी दें ताकि जिला मुख्यालय से भी उन्हें आवश्यक निर्देश दिया जा सके। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड में पदस्थापित अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन का काफी अभाव है। सुदूरवर्त्ती प्रखंड रहने के कारण कार्यालय के सहायक/पर्यवेक्षक/पदधर अन्यत्र स्थानों से आते हैं, जिससे कार्यालय के कार्यकलाप पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया कि कार्यालय में बिजली का तार यत्र-तत्र लटका हुआ पाया गया, जिससे कभी भी भयंकर दुर्घटना होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रखंड कार्यालय में प्रवेश के क्रम में दीवाल पर बहुत पुराना बोर्ड लगा हुआ पाया गया, जिसमें वर्षों पुरानी योजनाओं का जिक्र किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस बोर्ड पर लिखे विवरणी को मिटवाकर वर्तमान में प्रखंड में चल रही योजनाओं के बारे में संक्षिप्त विवरण आम जनता के जानकारी हेतु चिपकाना सुनिश्चित करें। प्रखंड परिसर स्थित एक पुराने गोदाम का निरीक्षण किया गया, जिसमें बहुत सारी बोरिंग पाईप, निर्वाचन का बक्सा आदि रखा हुआ पाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि गोदाम में पड़े बोरिंग पाईप एवं निर्वाचन का बक्सा आदि का निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर कर अनुपालन भेजें।

लगातार....4/-

(3) प्रभार :-

श्री छंगुरी मण्डल, बि०प्र०से० प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही के रूप में दिनांक 25-5-2001 से कार्यरत हैं । इनके पूर्व श्री देवेन्द्र कुमार, बि०कृ०से० प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार में थे । श्री उत्तमलाल पासवान, वरीय प्रवर कोटि, प्रधान लिपिक के पद पर दिनांक 8-7-2001 से कार्यरत हैं । इनके पूर्व श्री देवनारायण पासवान, वरीय प्रवर कोटि प्रधान लिपिक के प्रभार में थे । इसके अतिरिक्त श्री सतीशचन्द्र झा दिनांक 29-4-2002 से प्रखंड नाजीर के प्रभार में हैं । इससे पूर्व श्री नारायण झा, सहायक नजारत के प्रभार में थे ।

(4) स्थापना :-

इस प्रखंड में पदाधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य स्थापना से संबंधित स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1-	प्रखंड विकास पदाधिकारी	1	1	-	
2-	प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी	1	1	-	
3-	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	1	×	1	
4-	प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	1	1	-	
5-	प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	1	×	1	
6-	कनीय अभियंता	1	×	1	
7-	वरीय प्रधान लिपिक	1	1	-	
8-	सहायक	3	2	1	
9-	जनसेवक	10	5	5	
10-	ग्राम सेविका	3	×	3	
11-	जीप चालक	1	1	-	
12-	अनुसेवक	3	3	-	
13-	झाड़ुकश	1	1	-	
14-	पंचायत पर्यवेक्षक	1	×	1	

लगातार....5/-

15-	पंचायत सेवक	20	11	9	
16-	अनुसेवक	1	1	-	
17-	लेखा लिपिक	1	1	-	
18-	कनीय अभियंता (2505 शीर्ष)	1	1	-	
19-	लेखा लिपिक (2505 शीर्ष)	1	1	-	जिला विकास शाखा में प्रतिनियुक्त ।
20-	श्रम सहायक	1	×	1	
21-	अनुसेवक (2505 शीर्ष)	1	×	1	
22-	उर्दू अनुवादक	1	×	1	
23-	उर्दू टंकक	1	1	-	
24-	उर्दू सहायक	1	1	-	

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का एक पद, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का एक पद, कनीय अभियंता का एक पद, सहायक का एक पद, जनसेवक का पाँच पद, ग्राम सेविका का तीन पद, पंचायत पर्यवेक्षक का एक पद, पंचायत सेवक का नौ पद, श्रम सहायक का एक पद, अनुसेवक का एक पद, एवं उर्दू अनुवादक का एक पद रिक्त है । स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को निदेश दिया जाता है रिक्त पदों पर भर्त्ती हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्राचार करें ।

इस प्रखंड में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम/पदनाम/स्थायी पता एवं प्रखंड में योगदान देने की तिथि निम्नवत है :-

क्र0	नाम	पदनाम	स्थायी पता	योगदान की तिथि
1-	श्री छंगुरी मण्डल	प्रखंड विकास पदाधिकारी	ग्राम-दखली, पो0 खबासपुर, थाना-पिरपैंती, जिला-भागलपुर ।	25-05-2001
2-	डा0 सुरंजन सरकार	प्रखंड पशुपालन पदा0	ग्राम-स्टेशन रोड, पो0-जामताड़ा, जिला-जामताड़ा ।	20-10-1998
3-	श्री संजीव कुमार वर्मा	प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	ग्राम-धरमपुर, जिला-समस्तीपुर	20-08-1999
4-	श्री अशोक चन्द्र मिश्रा	कनीय अभियंता	ग्राम-चाँदचौर मिश्रटोल, बेलमेघ, जिला-समस्तीपुर ।	18-07-1998
5-	श्री उत्तमलाल पासवान	वरीय प्रवर कोटि सहायक	ग्राम-पो0-सौंटी, थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी	25-07-2001

लगातार...... 6/-

6-	श्री सतीशचन्द्र झा	लेखा लिपिक	ग्राम-बेलौंजा, पो0-बेलौंजा, थाना-बिस्फी, जिला-मधुबनी	25-07-2001	
7-	श्री केदारनाथ तिवारी	सहायक	ग्राम-तरौनी, पो0-थाना-बहेरा, जिला-दरभंगा	06-07-2001	
8-	श्री नारायण झा	सहायक	ग्राम-पो0-बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी	31-05-2000	
9-	श्री बिनोद कुमार साहु	सहायक	ग्राम-पो0-समुरिया, जिला-मधुबनी	10-05-1994	
10-	श्री मनीष कुमार	लेखालिपिक	ग्राम-पो0-दरभंगा, जिला-दरभंगा	03-01-1998	जिला विकास में प्रतिनियुक्त
11-	श्री अब्बू समद	उर्दू अनुवादक	ग्राम-महेशपट्टी, पो0-महेशपट्टी, जिला-समस्तीपुर ।	01-05-2000	
12-	श्री अबुल कलाम आजाद	उर्दू टंकक	ग्राम-पो0- लौआम, जिला-दरभंगा	07-01-2000	
13-	श्री ब्रजनन्दन ठाकुर,	जनसेवक	ग्राम-गोंसाई टोल, पो0- केवलपट्टी, थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी ।	25-06-1999	
14-	श्री जगदीश साहु नं0-2	जनसेवक	ग्राम-पो0- थाना-खजौली, जिला-मधुबनी	08-02-2002	
15-	श्री रामशरण सिंह	जनसेवक	ग्राम-पो0-इनरवा, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी	08-02-2002	
16-	श्री श्याम सुन्दर दास	जनसेवक	ग्राम-अंधरा, पो0-थाना-अंधराठाढ़ी, जिला-मधुबनी	20-08-1983	
17-	श्री राजेन्द्र यादव	जनसेवक	ग्राम-पो0-थाना-खजौली, जिला-मधुबनी	08-02-2002	
18-	श्री विश्वम्भर मिश्र	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-भौआड़ा, थाना-एवं जिला-मधुबनी	08-02-2002	
19-	श्री शैलेन्द्र झा	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-भवानीपुर, थाना-पण्डौल, जिला-मधुबनी	08-02-2002	
20-	श्री रामनारायण राय	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-चपाही, थाना-अंधराठाढ़ी, जिला-मधु0	08-02-2002	
21-	श्री दसई साह	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-थाना, जिला-मधुबनी	08-02-2002	
22-	श्री नागेन्द्र सहनी	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-साहपुर, भाया-लोहट, जिला-मधुबनी	09-02-2002	
23-	श्री दिलीप कुमार सिंह	पंचायत सेवक	ग्राम-दतुआर, पो0-थाना-खजौली, जिला-मधुबनी	08-02-2002	
24-	श्री परमेश्वर पासवान	पंचायत सेवक	ग्राम-सुगौना, पो0-थाना-राजनगर, जिला-मधुबनी	08-02-2002	
25-	श्री सोमन पासवान	पंचायत सेवक	मधुबनी	08-02-2002	
26-	श्री राम बहादुर यादव	पंचायत सेवक	ग्राम-कसमा मरार, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी	09-02-2002	
27-	मो0 यासीन	पंचायत सेवक	ग्राम-सुरहेट, पो0-सुरहेट, थाना-अरेर, जिला-मधुबनी	09-02-2002	
28-	श्री फकीर महतो	पंचायत सेवक	ग्राम-पो0-भौआड़ा, थाना एवं जिला-मधुबनी	08-02-2002	
29-	श्री कुशेश्वर मण्डल	अनुसेवक	ग्राम-पो0-ठाहर, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी	10-07-2002	

लगातार.....7/-

30-	श्री बिन्देश्वर राम	अनुसेवक	ग्राम-पो0-थाना-खजौली, जिला-मधुबनी	05-07-2002
31-	श्री रविन्द्र नाथ झा	अनुसेवक	ग्राम-पो0-भच्छी, थाना-मधुबनी, जिला-मधुबनी	13-06-2002
32-	श्री गंगा पासवान	अनुसेवक	ग्राम-बौंसी, पो0-तिरहुता, थाना-बाबूबरही, जिला-मधुबनी	15-06-2002
33-	श्री उपेन्द्र कामत	अनुसेवक	ग्राम-पो0-कसमा मरार, थाना-खजौली, जिला-मधुबनी	24-08-1988
34-	श्री लक्ष्मीठाकुर	जीपचालक	ग्राम-पो0-थाना-खुटौना, जिला-मधुबनी	26-12-2002
35-	श्री छठु मेहतर	झाडुकश	ग्राम-पो0-थाना-बाबूबरही, जिला-मधुबनी	01-12-1978

(5) स्टाफ पंजी :-

इस प्रखंड में स्टाफ पंजी नियमानुसार संधारित है, जिसमें सभी सरकारी सेवकों के बारे में विस्तृत सूचनाएँ अंकित रहती है ।

(6) पूर्व निरीक्षण :-

इस प्रखंड का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	01-02-1986	10-02-1986	05-03-1986
2-	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	23-05-1987	18-06-1987	10-05-1989
3-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	10-02-1982	08-04-1982	20-05-1982
4-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	30-04-1993	07-05-1993	31-03-1994
5-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	18-04-1996	14-05-1996	12-09-1996
6-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	17-02-1999	26-02-1999	12-06-1999
7-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	08-10-2001	21-11-2001	24-12-2001
8-	जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी	01-03-1982	24-03-1983	20-05-1982
9-	जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी	28-08-1991	31-01-1992	31-01-1992
10-	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी	13-01-1989	11-04-1989	10-05-1989
11-	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी	13-03-1991	23-03-1991	16-08-1991
12-	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी	27-03-2000	29-04-2000	27-05-2000
13-	कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	08-06-1994	16-07-1994	02-12-1995

लगातार.....8/-

14- कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	20-09-1995	13-10-1995	21-01-1996
15- कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	15-09-1997	25-09-1998	17-11-1998

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रखंड का निरीक्षण ऊपर अंकित तिथियों में विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। सभी निरीक्षी पदाधिकारियों की निरीक्षण टिप्पणी के संधारण हेतु अलग-अलग रक्षी संचिका संधारित है। उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस प्रखंड का निरीक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा वर्ष 1987 के बाद, उप विकास आयुक्त द्वारा वर्ष 2001 के बाद, जिला विकास पदाधिकारी द्वारा वर्ष 1991 के बाद, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा वर्ष 2000 के बाद एवं कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी द्वारा वर्ष 1997 के बाद निरीक्षण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने पदस्थापन काल से इस प्रखंड का निरीक्षण नहीं किया गया है, जो चिन्ता की बात है। बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को अपने प्रशाखा का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना है, जो नहीं किया गया है। सभी निरीक्षी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के तहत नियमानुसार निरीक्षण सुनिश्चित करें। उपर्युक्त तालिका में वर्णित अनुपालन की तिथि को देखने से ज्ञात होता है कि बहुत सारे निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इस प्रखंड का किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन बहुत विलम्ब से भेजा गया है, जो उचित नहीं है। नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए। यदि निरीक्षणी टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं होता है तो निरीक्षण का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसका भविष्य में अनुपालन/सुनिश्चित करें।

(7) सेवापुस्तिका :-

सेवापुस्तिका बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 162 वि.से.सं. के नियम 288 एवं 299 के तहत वि. वि. नियमावली खण्ड-1 के नियम 101 एवं 102 के अनुसार अनुसूची-53 फार्म-80 एल०जी०बी० फार्म नं०-239 प्रपत्र में संधारित है। प्रखंड में पदस्थापित विभिन्न सरकारी सेवकों का सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया गया। सेवापुस्तिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न तिथियों में इसका सत्यापन किया गया है, जो उचित नहीं है। सभी सरकारी सेवकों का सेवा सत्यापन की तिथि एक ही होना चाहिए। प्रधान सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त लापरवाही के लिए कौन जिम्मेवार हैं। इस प्रखंड में पदस्थापित विभिन्न श्रेणी के कुल 35 सरकारी सेवकों में से 31 सरकारी सेवकों का सेवापुस्त उपलब्ध है। चार

लगातार.....9/-

पंचायत सेवकों क्रमशः सोमन पासवान, परमेश्वर पासवान, दलाई साहु एवं राम बहादुर यादव का सेवापुस्त मधवापुर, बेनीपट्टी, रजौली एवं विस्फी से अप्राप्त है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित पंचायत सेवकों का सेवापुस्त उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से तुरत मंगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । सेवापुस्त में अवकाश लेखा का संधारण भी सही ढंग से संधारित नहीं किया जा रहा है, जो चिन्ता की बात है । प्रधान सहायक/प्रभारी सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दो दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें ।

§8§ सामान्य भविष्य निधि पासबुक :-

इस प्रखंड में कुल पदस्थापित सरकारी सेवकों की संख्या 35 है परन्तु निरीक्षण के क्रम में मात्र 16§सोलह§ सरकारी सेवकों का सामान्य भविष्य निधि पासबुक ही प्रस्तुत किया गया । पूछने पर बताया गया कि कुछ सरकारी सेवकों का सामान्य भविष्य निधि पासबुक उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से अप्राप्त है । प्रस्तुत भविष्य निधि पासबुक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माह-नवम्बर, 2002 तक अद्यतन है । जिन सरकारी सेवकों का सामान्य भविष्य निधि पासबुक प्रस्तुत किया गया, वे निम्नप्रकार हैं :-

क्र0	नाम	पदनाम	अद्यतन की तिथि
1-	छठु मेहतर	झाडूकश	नवम्बर, 2002 तक ।
2-	उत्तमलाल पासवान	प्रधान सहायक	नवम्बर, 2002 तक ।
3-	नारायण झा	सहायक	नवम्बर, 2002 तक ।
4-	सतीश चन्द्र झा	सहायक	नवम्बर, 2002 तक ।
5-	नागेन्द्र सहनी	पंचायत सेवक	नवम्बर, 2002 तक ।
6-	शैलेन्द्र झा	पंचायत सेवक	नवम्बर, 2002 तक ।
7-	जगदीश साह नं0-2	जन सेवक	नवम्बर, 2002 तक ।
8-	बी0एन0 ठाकुर	जनसेवक	नवम्बर, 2002 तक ।
9-	राजेन्द्र यादव	जनसेवक	नवम्बर, 2002 तक ।
10-	अशोक चन्द्र मिश्रा	कनीय अभियंता	नवम्बर, 2002 तक ।
11-	अब्बू समद	उर्दू अनुवादक	नवम्बर, 2002 तक ।
12-	फकीर महतो	पंचायत सेवक	नवम्बर, 2002 तक ।
13-	लक्ष्मी ठाकुर	जीपचालक	नवम्बर, 2002 तक ।

लगातार.....10/-

14-	गंगा पासवान	अनुसेवक	नवम्बर, 2002 तक ।
15-	कुशेश्वर मण्डल	अनुसेवक	नवम्बर, 2002 तक ।
16-	रविन्द्र नाथ झा	अनुसेवक	नवम्बर, 2002 तक ।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित सरकारी सेवकों का भविष्य निधि पासबुक उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से अप्राप्त है :-

1-	श्री रामनारायण सिंह	जनसेवक	अंधराठाढ़ी प्रखंड से अप्राप्त ।
2-	मो० यासीन	पंचायत सेवक	बिस्फी प्रखंड से अप्राप्त ।
3-	राम बहादुर यादव	पंचायत सेवक	बिस्फी प्रखंड से अप्राप्त ।
4-	परमेश्वर पासवान	पंचायत सेवक	बेनीपट्टी प्रखंड से अप्राप्त ।
5-	सोमन पासवान	पंचायत सेवक	मधवापुर प्रखंड से अप्राप्त ।
6-	दिलीप कुमार सिंह	पंचायत सेवक	बेनीपट्टी प्रखंड से अप्राप्त ।
7-	ददई साहु	पंचायत सेवक	खजौली प्रखंड से अप्राप्त ।
8-	राम नारायण राय	पंचायत सेवक	राजनगर प्रखंड से अप्राप्त ।
9-	विश्वम्भर मिश्र	पंचायत सेवक	राजनगर प्रखंड से अप्राप्त ।

उपर्युक्त सभी कर्मियों का सामान्य भविष्य निधि पासबुक विभिन्न प्रखंडों से अप्राप्त रहने के फलस्वरूप इस कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया गया है, जो अत्यन्त ही खेद की बात है । प्रधान सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें । इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी सेवकों का सेवापुस्त जो उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से अप्राप्त है के संबंध में भी कोई पत्राचार नहीं किया गया है, जो अत्यन्त ही खेदजनक एवं गम्भीर बात है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का अपने कर्मियों पर कोई नियंत्रण नहीं है । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि जिन सरकारी सेवकों का सेवापुस्त एवं सामान्य भविष्य निधि पासबुक उनके पूर्व पदस्थापन कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें तुरत पत्र द्वारा सूचित करें एवं पत्र की प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भी दें ताकि जिला कार्यालय से भी उन्हें स्मारित किया जा सके ।

(9) वेतन वृद्धि पंजी :-

इस प्रखंड में वेतन वृद्धि पंजी का संधारण नहीं किया जाता है, जो गम्भीर बात है । यह एक महत्त्वपूर्ण पंजी है । इस पंजी के संधारण

लगातार.....11/-

करने से यह पता चल सकेगा कि किस कर्मचारी को कब वेतन वृद्धि देय है, ताकि समय पर उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि उक्त पंजी का संधारण अविलम्ब सुनिश्चित करावें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

§10§ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सूचना पंजी :-

इस प्रखंड में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सूचना पंजी संधारित नहीं है, जो उचित नहीं है । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त पंजी का संधारण अविलम्ब सुनिश्चित करें जिसमें सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के बारे में विस्तृत उल्लेख रहेगा । प्रधान सहायक ने बताया कि वर्ष 2002 में श्री तारानन्द लाल दास, पंचायत सेवक दिनांक 30-9-2002 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं । इनका सभी तरह का दावा का विपत्र तैयार कर कोषागार में भुगतान हेतु भेजा जा चुका है ।

§11§ प्रतिभूति बंध पत्र :-

प्रतिभूति बंध पत्र इस प्रखंड में संधारित नहीं है, जो आश्चर्यजनक है । बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-232 एवं बिहार वित्त नियमावली के भाग-1, प्रकरण-8, नियम-24 तथा बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-208 एवं 210 में दिये गए निर्देश के अनुसार प्रधान सहायक एवं प्रखंड नाजीर को जमानत की राशि एवं जामिनी बंध पत्र प्राप्त किया जायगा । इसके लिए एक पंजी होगी, जो पंजी-73 कही जायेगी । यह जमानत की राशि समाहर्त्ता के पदनाम से बंध पत्र रहेगा तथा जामिनी बंध पत्र बिहार राज्यपाल के नाम से विहित प्रपत्र में देना है । नियमानुसार प्रखंड नाजीर को 500/-§पाँच सौ§ रूपया एवं प्रधान सहायक को 250/-§दो सौ पचास§ रूपया जमानत के रूप में जमा करना है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसका अनुपालन तीन दिनों के अन्दर करवाकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । इसकामुख्य उद्देश्य यही है कि संबंधित कर्मचारी/नाजीर अगर सरकारी राशि का गबन करता है, तो उनके पैतृक सम्पत्ति एवं अन्य सम्पत्ति से वसूली की जा सके ।

§12§ अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी वर्णमाला के अनुसार विहित प्रपत्र में संधारित है, परन्तु कितने विषयों पर इस प्रखंड में संचिका संचालन होती है के संबंध में पूछने पर अनभिज्ञता प्रकट किया गया जो खेद की बात है ।

§13§ प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 8 खंड§1§ एवं §11§ के आलोक में पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है जो

लगातार.....12/-

प्रत्येक पंचांग वर्ष के प्रथम में खोली जाती है । विगत तीन वर्षों में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्नप्रकार है :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1999	1056	778
2000	1081	804
2001	1136	809
2002§18.12.02 तक§	1089	1304
		20-मुख्य

प्राप्त पत्रों की पंजी का अवलोकन कियागया। पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंजी का एक भी स्तम्भ नहीं भरा गयाहै जो बहुत ही गम्भीर बात है । इसके अतिरिक्त स्मार का कॉलम भी खाली है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि संबंधित सहायक से स्पष्टीकरण पूछें कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय । विगत तीन वर्षों का प्राप्तएवं निर्गत पत्रों की पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्राप्त पत्रों की संख्या निर्गत पत्रों की संख्या से अधिक है । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि प्राप्तएवं निर्गत पत्रों के सभी स्तम्भों को नियमानुसार भरवाना सुनिश्चित करें ।

§14§ लंबित पत्रों का पंजी :-

इस प्रखंड में लंबित पत्रों की पंजी संधारित नहीं की गई है,जो चिन्ता का विषय है । बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 34§ए§ के अनुसार प्रत्येक लंबित पत्रों के लिए लूज सीट पर अलग-अलग सहायकवार सूची तैयार करनी है । साथ ही इसके लिए एक अलग केन्द्रीय पंजी भी संधारित करनाचाहिए । लंबित पत्रों का सूची प्रत्येक माह की 10 वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से घोषणा हो जाना चाहिए । पंजी में प्रतिवेदित माह की लंबित पत्रों की प्रविष्टि करने से पूर्व गत माह के जितने पत्र लंबित रह गये हों,उसे लाल स्याही से अगले माह में अग्रणित कर लिया जानाचाहिए और प्रतिवेदित माह के लंबित पत्रों का प्रविष्टि काली स्याही से किया जाना चाहिए । उक्त पंजी को निम्नांकित प्रपत्र में संधारित करने का निर्देश दिया जाता है :-§1§ गत माह तक लंबित पत्रों की संख्या§2§ प्रतिवेदित माह में प्राप्त पत्रों की संख्या §3§ प्रतिवेदित माह में निष्पादित पत्रों की संख्या §4§ लंबित पत्रों की संख्या §5§ अभ्युक्ति । इसके बाद यह भी स्तम्भ बनाना सुनिश्चित करें कि एक वर्ष से ऊपर,नौ माह से ऊपर,छः माह से ऊपर,एक माह से ऊपर एवं एक माह के अन्दर की संख्या अंकित करेंगे । निष्पादन का अर्थ है किअन्तिम जवाब निर्गत कर देना । प्रधान सहायक इसका अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें ।

§15§ कर्मपुस्तिका :-

प्रखंड में कार्यरत सभी सहायकों द्वारा कर्मपुस्तिका कासंधारण किया जा रहाहै,परन्तु सही ढंग से संधारित नहीं है । लगातार....13/-

प्रत्येक सहायकों के लिए कर्मपुस्तिका निम्नांकित प्रपत्र में संधारित करने का निर्देश दिया जाता है :-

क्र0	प्राप्त पत्रों की पंजी सं0 एवं तिथि	पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ	पत्रांक/दिनांक	पत्र का संक्षिप्त विषय	पत्र कहाँ रखा गया।	उपस्थापन की तिथि	आदेश की तिथि	पत्रांक/दिनांक	अभ्युक्ति

प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रधान सहायक इसका अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित करावें।

§16§ कार्य पत्रक :-

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-155 के अनुसार प्रत्येक सहायक के बैठने के पीछे के स्थान के ऊपर दीवाल परसहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा संधारित है। यह एक महत्वपूर्ण तालिका है। इससे यह पता चल जाता है कि कौन से सहायक किस विषय पर संचिका का निष्पादन करते हैं।

§17§ प्रधान सहायक नोट बुक :-

प्रधान सहायक नोट बुक संधारित है,परन्तु सही ढंग से नहीं है। बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-117 के अनुसार प्रधान सहायक नोटबुक वर्णमालानुसार तैयार रहनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण नोटबुक है। इसमें प्रखंड में प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों का जिक्र संक्षिप्त में रहता है। प्रधान सहायक दो दिनों के अन्दर इसका अनुसार नियमानुसार सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

§18§ रक्षी संचिका :-

बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-60 एवं 120 के अनुसार रक्षी संचिका का संधारण किया जाना है। इस कार्यालय में रक्षी संचिका सही ढंग से संधारित नहीं है। रक्षी संचिकाओं की स्थिति भी दयनीय है। इसे विषयवार संधारित करना चाहिए। राज्य सरकार एवं जिला मुख्यालय से समय-समय पर जो महत्वपूर्ण परिपत्र/अनुदेश आदि प्राप्त होते हैं,उसे विषयवार अलग-अलग संधारित करना है एवं प्रत्येक रक्षी संचिका के प्रथम पृष्ट पर अनुक्रमणिका भी दिया जाना आवश्यक है,ताकि यह पता चल सके कि कौन सा पत्र किस क्रमांक पर संधारित है। यह रक्षी संचिका सभी संबंधित सहायक के पास विषयवार रहनी चाहिए ताकि दिये गये मार्ग निर्देश के अनुरूप अपने कार्यों का निपटारा नियमानुसार कर सकें। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित करायेंगे।

§19§ प्रतिवेदन एवं विवरणी :-

इस प्रखंड से प्रत्येक माह में प्रतिवेदन एवं विवरणी भेजी जाती है। ससमय प्रतिवेदन एवं विवरणी भेजने एवं इस पर नियंत्रण रखने के लिए

लगातार....14/-

यह आवश्यक है कि इसकी एक प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ट में एवं दूसरी प्रति प्रधान सहायक के पास रहनी चाहिए,ताकि यह पता चल सके कि कौन सा प्रतिवेदन कब और कहाँ भेजा जाना है । प्रधान सहायक इसका अनुपालन दो दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें ।

(20) उपस्थिति पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । परन्तु उपस्थिति पंजी एवं अवकाश पंजी में कोई तालमेल नहीं है। उपस्थिति पंजी में उपस्थिति कट जाने के पश्चात भी सहायकों द्वारा बिना समय अंकित किये उपस्थिति दर्ज कर दी जाती है जो अनुशासनहीनता का द्योतक है । उदाहरणस्वरूप आजाद हुसैन,उर्दू अनुवादक द्वारा माह मई-02 में 9(नौ) दिन उपस्थिति क्रास किया गया हैजबकि आकस्मिक अवकाश पंजी में एक दिन दर्ज है जो अनुचित है । इसी प्रकार श्री केदार नाथ तिवारी,सहायक द्वारा जुलाई में 9 दिन,अगस्त में 7 दिन एवं अक्टूबर -2002 में 4 दिन अनुपस्थित हैं,परन्तु आकस्मिक अवकाश पंजी में जुलाई में 8 दिन अवकाश अंकित किया गया है । इस प्रकार इनके अवकाश लेखा में अवकाश देय नहीं रह जाताहै,परन्तु उपस्थिति काट दिये जाने के बावजूद भी वेतन भुगतान कर दिया गया है,जो गम्भीर बात है। प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी जाँच कर दो दिनों के अन्दर प्रतिवेदित करें कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है ।

(21) अवकाश पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है,परन्तु अवकाश पंजी एवं उपस्थिति पंजी से इसका कोई तालमेल नहीं है । प्रधान सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त लापरवाही के लिए क्यों नहीं उन्हें दोषी माना जाय ।

(22) संचिका गति पंजी :-

जिला मुख्यालय से दिये गये निर्देश के आलोक में संचिका गति पंजी का संधारण किया गया है ।

(23) पंजियों की पंजी :-

बताया गयाकि पंजियों की पंजी इस प्रखंड में संधारित है,परन्तु कितने प्रकार की पंजियाँ संधारित है,इस संबंध में पूछने पर अनभिज्ञताप्रकट किया गया,जो खेद की बात है । यह एक महत्वपूर्ण पंजी है,जिसमें इस बात काउल्लेख रहता है कि कार्यालय में कितने प्रकार के पंजियों कासंधारण किया जा रहा है । यह प्रधान सहायक का दायित्व है । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाताहै कि इस पंजी कासंधारण नियमानुसार सुनिश्चित करें ।

(24) मैजेन्जर पंजी :-

यह एक महत्वपूर्ण पंजी है ।मैसेन्जर पंजी में नाजीर का फोटो रहना चाहिए,जो नहीं है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता

लगातार...,15/-

है किप्रखंड नाजीर का पासपोर्ट साईज का फोटो अभिप्रमाणित कराकर मैसेन्जर पंजी में अविलम्ब चिपकाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें । कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी,को आदेश दिया जाताहै कि बिना फोटो सत्यापन का विपत्र पारित नहीं करेंगे ।

§25§ चपरासी बही :-

यह पंजी विधिवत संधारित है ।

§26§ विधान सभा/लोक सभा से संबंधित पंजी :-

इस प्रखंड में यह पंजी संधारित है,परन्तु कितने मामले लंबित हैं,इसकाकोई जिक्र निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें । साथ ही यह भी प्रमाण-पत्र दें कि एक भी मामला लंबित नहीं है ।

§27§ माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामला :-

इस प्रखंड में यह पंजी संधारित नहीं है,जो बहुत ही चिन्ता की बात है । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए एक अलग पंजी अविलम्ब संधारित करें ।

§28§ आवंटन पंजी :-

यह पंजी नियमानुसार संधारित है ।

§29§ अंकेक्षण पंजी :-

यह पंजी संधारित है,परन्तु कितने मामले लंबित है,इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है । प्रधान सहायकस्पष्ट करें कि अंकेक्षण से संबंधित कितने मामले लंबित हैं एवं किस वर्ष तक इस प्रखंडका अंकेक्षण किया गया है ।

§30§ भण्डार पंजी :-

इस प्रखंड में भण्डार पंजी संधारित है जिसमें प्रखंड में स्थित सामग्रियों का इन्द्राज किया जाता है ।

§31§ वाहन का लौग बुक एवं इतिहास पंजी :-

बताया गया कि इस प्रखंड में वाहन का लौग बुक संधारित है । कितना कि0मी0 गाड़ी चल ,इसका मापदण्ड के अनुसार प्रति कि0मी0 ईंधन खपत की जा रही है,की प्रविष्टि की जा रही है ।

B

लगातार.....।6/-

प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि वाहन का लोग बुक की जाँच प्रत्येक माह के अन्त में किया करें ताकि पता चल सके कि एक माह में कितना ईंधन खपत हुआ और कितना कि०मी० वाहन चली ।

(32) वेतन भरपाई पंजी :-

नियमानुसार वेतन भरपाई पंजी शीर्षवार संधारित किया जाता है ।

(33) रोकड़ बही :-

सामान्य रोकड़ पंजी टी०सी० फारम-6 में संधारित है तथा दिनांक 17-12-2002 तक लिखा गया है । सामान्य रोकड़ पंजी के अनुसार मो० 1,49,85,101=24 (एक करोड़ उन्चास लाख पचासी हजार एक सौ एक रूपये चौबीस पैसे) अवशेष दिखलाया गया है, जो अप्रत्याशित रूप से अधिक प्रतीत होता है । सामान्य रोकड़ बही के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि कुल 45 मदों में राशि रखी गई है, जिसका ब्यौरा निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम		अवशेष राशि
1-	राष्ट्रीय पेंशन	-	3,47,390=50
2-	राज्य पेंशन	-	6,00,562=00
3-	इन्दिरा आवास (80 %)	-	44,82,774=00
4-	इन्दिरा आवास (20 %)	-	14,46,050=00
5-	बुनियादी इन्दिरा आवास योजना	-	शून्य
6-	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (80 %)	-	5,26,000=00
7-	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (20 %)	-	2,72,000=00
8-	पी०एम०जी०वाई०	-	2,28,500=00
9-	सी०डी०पी०	-	1,04,170=39
10-	ग्राम पंचायत	-	1,71,860=00
11-	छात्रवृत्ति	-	2,12,704=00
12-	जवाहर रोजगार योजना	-	3,45,358=50
13-	सुनिश्चित रोजगार योजना	-	25,54,887=00
14-	कल्याण	-	65,000=00

लगातार....17/-

15-	जिला योजना		
16-	विधायक/पार्षद	-	9, 177=00
17-	सांसद कोष	-	5, 18, 437=60
18-	मातृत्व लाभ	-	5, 06, 457=00
19-	वा०स०योजना	-	8, 000=00
20-	श्रम रोजगार	-	10, 500=00
21-	शिक्षा	-	65, 550=00
22-	कृषि	-	70, 345=00
23-	पारिवारिक लाभ	-	35, 515=30
24-	विविध	-	25, 000=00
25-	राज्यपाल कोष	-	88, 869=81
26-	डी०डब्लू०सी०आर०ए०	-	1, 000=00
27-	सिंचाई	-	9, 00, 507-24
28-	बोरिंग	-	33, 382=80
29-	कृषि	-	29, 930=00
30-	चरवाहा विद्यालय	-	1, 000=00
31-	सहायता	-	25, 110=20
32-	पंचायत निर्वाचन	-	71, 142=00
33-	बायोगैस	-	98, 655=25
34-	स्थायी अग्रिम	-	41, 852=26
35-	जमानत	-	118=50
36-	निर्वाचन	-	1, 816=00
37-	जनगणना	-	1, 90, 833=03
38-	2235 पेंशन [वेतन]	-	28, 025=00
39-	भविष्य निधि	-	शून्य
40-	प्रोत्साहन भत्ता	-	2, 546=00
41-	पंचायत कमीशन	-	1, 48, 340=00
42-	राजभाषा [वेतन]	-	17, 234=86
			शून्य

लगातार..... 18/-

43-	पंचायत समिति		
44-	2071- पेंशन	-	25,852=00
45-	सूद की राशि सहायक पंजी	-	शून्य
		-	6, 72,648=00

कुल योग:- 1,49,85,101=24

रोकड़ बही के अनुसार उपर्युक्त राशि का बैंकवार विवरणी निम्नप्रकार है :-

	बैंक का नाम	खाता नं०	मद	पासबुक के अनुसार अवशेष राशि	रोकड़ बही के अनुसार अवशेष राशि	बैंक से सत्यापन की तिथि
-	पंजाब नेशनल बैंक, बाबूबरही ।	9174	राष्ट्रीय पेंशन	4,59,948=00	3,47,390-50	17-09-2002
-	पंजाब नेशनल बैंक, बाबूबरही ।	9175	राज्य पेंशन	6,52,131=00	6,00,562=00	17-09-2002
-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूपट्टी ।	3724	इन्दिरा आवास योजना(80%)	5,99,310=00	-	13-09-2002
-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूपट्टी ।	3725	इन्दिरा आवास योजना(20%)	8,03,600=00	14,46,050=00	17-12-2002
-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बाबूबरही ।	2959	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (80% एवं 20%)	5,58,000=00	5,26,000=00 + 2,72,000=00 7,98,000=00	31-10-2002
-	पंजाब नेशनल बैंक, बाबूबरही ।	9177	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	76,858=00	2,28,500=00	17-09-2002
-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूपट्टी ।	3728	जवाहर रोजगार योजना	100=00	-	08-11-2002
-	रहिका सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बाबूबरही ।	911	छात्रवृत्ति	2,04,329=00	2,12,704=00	21-11-2002
-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूपट्टी	3728	सुनिश्चित रोजगार योजना	26,62,940=00	25,54,887=00	16-12-2002
0-	रहिका सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, बाबूबरही ।	910	जिला योजना	9,277=00	9,177=00	06-04-2002

लगातार..... 19/-

11-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बाबूबरही ।	2960	विधायक/पार्षद कोष	5,18,700=00	5,18,437=00	02-11-2002
12-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बाबूबरही ।	2957	सांसद कोष	7,87,283=00	5,06,457=00	30-11-2002
13-	पंजाब नेशनल बैंक, बाबूबरही ।	9178	वा०स०योजना	9,665=00	10,500=00	17-09-2002
14-	पंजाब नेशनल बैंक, बाबूबरही ।	9176	पारिवारिक लाभ योजना	25,454=00	25,000=00	26-09-2000
15-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरहारा ।	2860	साहाय्य मद	100=00	71,142=00	05-12-2001
16-	क्षेत्रीय ग्रामीणबैंक, बरहारा ।	2859	अन्नपूर्णा योजना	10,077=00	-	जुलाई, 2002
17-	रहिका सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, बाबूबरही ।	909	पोषाहार	58,346=00	-	12-12-2002
18-	रहिका सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक, बाबूबरही ।	908	प्रोत्साहन भत्ता	100=00	1,48,340=00	04-12-2002
19-	रहिका सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, बाबूबरही ।	912	दशम वित्त आयोग	15,100=00	-	13-06-2002
20-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूपट्टी ।	3726	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ।	100=00	-	08-12-2002
21-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बाबूबरही ।	3089	पंचायत समिति (एकादशा)	25,852=00	25,852=00	16-11-2002
22-	पंजाब नेशनल बैंक, कुल्हड़िया ।	2709	इन्दिरा आवास (80 %)	19,95,000=00	44,82,774=00	05-12-2002

सामान्य मद

1-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बाबूबरही ।	2260	-	2,733=00	-	02-03-2002
2-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चालू खाता-03 बाबूबरही ।		-	1,897=50	-	18-11-2002

लगातार....20/-

3-	पंजाब नेशनल बैंक, बाबूबरही । चालू खाता-13	-	5,863=71	-	31-10-2002
4-	पंजाब नेशनल बैंक, 6589 बाबूबरही ।	-	4,75,348=00	-	12-09-2002
5-	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झपटटी । (चालू खाता- 01)	-	2,000=00	-	02-02-2002
6-	पंजाब नेशनल बैंक, खोजपुर 1994	-	12,79,080=25	-	12-04-2002
7-	रुहिका सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, बाबूबरही (चालू खाता-13)	-	25,820=50	-	17-12-2002
8-	पंजाब नेशनल बैंक, कुल्हड़िया-1275	-	2,07,023=00	-	20-09-2002
9-	पंजाब नेशनल बैंक, कुल्हड़िया-1486	-	3,13,421=00	-	20-09-2002
10-	पंजाब नेशनल बैंक, कुल्हड़िया- चालू खाता-01	-	920=00	-	30-07-1999
11-	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मधुबनी (चालू खाता-560)	-	2,990=00	-	31-03-1989
12-	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, 50035 मधुबनी ।	-	8,68,946=49	-	02-12-2002
13-	अस्थायी अग्रिम	-	12,22,128=10	-	-
14-	अभिश्रव	-	10,32,202=10	-	-
15-	सिंगिल लॉक में	-	43,457=59	-	-
			कुल योग:- 1,49,41,643=65		

रोकड़ बही के उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसका संधारण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी चालू खाता में बहुत सी राशि पड़ी हुई है, जो अत्यन्त ही खेदजनक

लगातार....21/-

एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना है । प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड नाजीर अपना स्पष्टीकरण दें कि दिये गये निर्देश का अनुपालन नहीं करने के लिए क्यों नहीं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाय । रोकड़ पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इन्दिरा आवास योजना (80 %) में 44,82,774/-रूपया, इन्दिरा आवास योजना (20 %) में 14,46,050/-रूपया, सुनिश्चित रोजगार योजना मद में 25,54,887/-रूपया, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 3,47,390/-रूपया, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 6,00,562/-रूपया, विधायक/पार्षद योजना में 5,18,437/-रूपया, सांसद कोष में 5,06,457/-रूपया, दवा करा में 9,00,507/-रूपया, निर्वाचन में 1,90,833/-रूपया, प्रोत्साहन भत्ता में 1,48,340/-रूपया, विविध में 88,869/-रूपया, सहायय मद में 71,142/- रूपया, पंचायत निर्वाचन में 98,655/-रूपया, सूद की राशि में 6,72,648/-रूपया आदि अप्रत्याशित रूप से पड़े हुए हैं एवं इसे खर्च करने की दिशा में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कोई अभिरूची नहीं ली जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी बिल्कुल ही संवेदनशील नहीं है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इसकी छानबीन कर लें कि यदि राशि खर्च करने योग्य नहीं है, तो अविलम्ब कोषागार चलान/चेक द्वारा जिला कार्यालय को वापस करें । विविध शीर्ष में मो० 88,869/-रूपये पड़े हुए हैं, परन्तु इसमें किस मद की राशि सन्निहित है, के औचित्य के बारे में पूछने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड नाजीर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके । विभिन्न शीर्षों में बहुत बड़ी राशि काफी लम्बे अर्से से पड़ी हुई है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जिस शीर्ष में अत्यधिक राशि अवशेष पड़ी हुई है, उस योजना के संबंध में राशि शीघ्र वितरित कर अवशेष राशि जो खर्च के योग्य नहीं है; जिला कार्यालय को वापस कर दें । किसी भी शीर्ष में अनावश्यक रूप से अधिक राशि अवशेष रहने के कारण विचलन की संभावना बढ़ जाती है। अतः प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड नाजीर को निर्देश दिया जाता है कि इसकी छानबीन कर राशि जो व्यय के योग्य नहीं है, एक सप्ताह के अन्दर चलान/चेक द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें ।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न बैंकों में जमा राशि का अवशेष से संबंधित प्रस्तुत विवरणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रखंड नाजीर द्वारा बैंक से प्रत्येक माह रिकॉन्सीलियेशन भी नहीं कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप बैंक में जमा राशि एवं सहायक रोकड़ बही में अवशेष राशि में भिन्नता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रखंड नाजीर से स्पष्टीकरण पूछकर अपने मंतव्य के साथ तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके ।

(34) अग्रिम :-

रोकड़ बही के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अस्थायी अग्रिम के रूप में विभिन्न सरकारी सेवकों को कुल मो० 12,22,128/-रूपया का भुगतान किया गया है, जो बहुत बड़ी राशि है । विभिन्न सरकारी सेवकों द्वारा ली गई अग्रिम का विवरण निम्नप्रकार है :-

लगातार.....22/-

ांक	नाम	पदनाम	अग्रिम की राशि	अग्रिम की तिथि	अग्रिम का प्रयोजन
.		अंचल अधिकारी, बाबूबरही	1,00,000=00	13-4-1995 ---------- 22-4-1995	बाढ़ राहत वितरण हेतु ।
.	श्री अकील अहमद	मुखिया, बरहारा पंचायत	200=00	14-2-1997 --------- 18-2-1997	यात्रा भत्ता हेतु ।
.	श्री अरूण कुमार झा	आपूर्त्ति सहायक	300=00	19-8-1998	निर्वाचन कार्य हेतु ।
.	श्री अलीमुद्दीन अंसारी	चौकीदार	600=00	20-9-1997	मतदान केन्द्रों की घेराबन्दी हेतु ।
.	श्री पुलकित मोची		25=00	07-02-1966	-
.	श्री राम अनुग्रह लाल दास		34=00	18-8-1975 --------- 18-8-1987	-
-	श्री राम परीक्षण पाण्डेय	पिरही	120=00	04-12-1971	-
-	श्री गुफरान मिस्त्री	दरभंगा	1,600=00	11-12-1975 07-01-1976	-
-	मेसर्स स्पेयर सेन्टर	दरभंगा	3,000=00	12-12-1975 07-01-1976	-
0-	श्री ठाकुर चन्द्रशेखर सिंह	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	1,974=30	19-06-1976 07-02-1978	-
1-	श्री लाल गोबिन्द झा	सहायक (सेवानिवृत्त)	235=00	13-08-1979	-
2-	श्री राम विलास यादव	मिस्त्री	300=00	16-12-1980	-
3-	श्री केशव झा	पंचायत सेवक	150=00	-	-
14-	श्री यदुवीर कामत	जनसेवक	150=00	22-09-1985	-
15-	श्री मधुसूदन यादव	सचिव	36,474=80	10-01-1987	-
16-	श्री वीरेन्द्र यादव	-	1,500=00	24-04-1985 30-05-1985	-
17-	श्री सुशील कुमार ठाकुर	जनसेवक	5,000=00	-	-

लगातार.....23/-

18-	श्री चन्द्रदेव ठाकुर	प्र०वि०प०दा०,बाबूबरही	1,000=00	15-06-1992	राँची ट्रेनिंग में जाने हेतु ।
19-	श्री ज्ञान शंकर प्रसाद	सचिव, बिहार विकास परिषद ।	14,100=00	27-08-1992 15-02-1993	उन्नत चुल्हा निर्माण हेतु ।
20-	श्रीमती फुलो देवी	सदस्य, मोहनपुर	3,000=00	22-02-1993	दालमूट निर्माण हेतु ।
21-	श्रीमती सुमित्रा देवी	सदस्य, मोहनपुर	3,000=00	20-02-1993	दालमूद निर्माण हेतु ।
22-	श्री तारानन्द लाल दास	पंचायत सेवक	500=00	18-07-1994	निर्वाचन कार्य हेतु ।
23-	श्री राजेश्वर मंडल	पंचायत सेवक	500=00	10-11-1997	सा०सु०पेंशन वितरण हेतु ।
24-	श्री जितेन्द्र प्र०सिंह	पंचायत सेवक	5,500=00	25-02-1995	मतदान केन्द्र का घेराबन्दी हेतु ।
25-	श्री गुणदेव झा	पंचायत सेवक	803=50	12-11-1997	गेहूँ भाड़ा भुगतान हेतु ।
26-	श्री तारानन्द लाल दास	पंचायत सेवक	200=00	06-12-1994	निर्वाचन कार्य,हेतु ।
27-	श्री विजय शंकर प्रसाद	प्रखंड प्रमुख	300=00	14-02-1997	निर्वाचन कार्य हेतु ।
28-	श्री विन्ध्याचल प्र०सिंह	मुखिया, सर्रा पंचायत	250=00	14-02-1997	पटना जाने हेतु यात्रा भत्ता ।
29-	श्री नारायण झा	मुखिया, सर्रा पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव
30-	श्री रामधनी यादव	मुखिया, भटगामा	200=00	14-02-1997	तदैव ।
31-	श्री शौनी राम	मुखिया, बगौल पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।
32-	श्री मिश्री लाल सिंह	मुखिया, महेशबाड़ा पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।
33-	श्री कृष्ण झा,	मुखिया,	200=00	14-02-1997	तदैव ।
34-	श्री नथुनी पासवान	मुखिया, छौरही पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।
35-	श्री मौजे लाल साहु	मुखिया, तिरहुता पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।
36-	श्री परमानन्द खोसला	मुखिया, खड़गवनी	200=00	14-02-1997	तदैव ।
37-	श्री शिवशंकर यादव	मुखिया, धमौरा पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।
38-	श्री लक्ष्मी नारायण यादव	मुखिया, बेला सोनमती पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।
39-	श्री कपिलेश्वर यादव	मुखिया, खोजपुर पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।
40-	श्री लाल बहादुर सिंह	मुखिया, तेघड़ा बरैल, पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।
41-	श्री सुन्दर कामत	मुखिया, बसहा पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।
42-	श्री कुमर कान्त झा	मुखिया, कुल्हड़िया पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।
43-	मो० रफीक आलम	मुखिया, बाबूबरही पंचायत	200=00	14-02-1997	तदैव ।

लगातार....24/-

44-	श्री नागेश्वर राय	मुखिया, पचरूखी पंचाय	200=00	14-02-1997	यात्रा भत्ता हेतु ।
45-	श्री फुलेश्वर तिवारी,	मुखिया, पिरही पंचायत	200=00	14-02-1997	यात्रा भत्ता हेतु ।
46-	श्री साबिर अंसारी	मुखिया, भिखौलिया पं0	200=00	14-02-1997	यात्रा भत्ता हेतु ।
47-	श्री डोमी पासवान	श्रमिक सचिव, बरहारा	20000=00	07-03-1997	मंच निर्माण हेतु ।
48-	श्री रमानन्द झा,	सहायक	4700=00	15-04-1998	बी0एम0एस0भुगतान हेतु ली गईअग्रिम
49-	श्री परमेश्वर सिंह,	सहायक	5000=00	18-05-1999	वेतन के विरुद्ध अग्रिम ।
50-	श्री रामलखन पासवान	चौकीदार	200=00	29-09-1997	मतदान केन्द्र की घेराबन्दी हेतु ।
51-	श्री विश्वनाथ यादव	चौकीदार	300=00	29-09-1997	तदैव ।
52-	श्री रामलखन पासवान	चौकीदार	200=00	29-09-1997	तदैव ।
53-	श्री खट्टर यादव	चौकीदार	300=00	29-09-1997	तदैव ।
54-	श्री राजाराम यादव	चौकीदार	300=00	29-09-1997	तदैव ।
55-	श्री उत्तीम महथा	चौकीदार	200=00	29-09-1997	तदैव ।
56-	श्री इन्द्रकान्त गिरि	चौकीदार	300=00	29-09-1997	तदैव ।
57-	श्री धुलाल पासवान	चौकीदार	200=00	29-09-1997	तदैव ।
58-	श्री जयवीर यादव	चौकीदार	300=00	29-09-1997	तदैव ।
59-	श्री जीवछ पासवान	चौकीदार	300=00	29-09-1997	तदैव ।
60-	श्री जीवछ पासवान	चौकीदार	300=00	29-09-1997	तदैव ।
61-	श्री कामेश्वर यादव	चौकीदार	200=00	29-09-1997	तदैव ।
62-	श्री कामेश्वर यादव	चौकीदार	300=00	29-09-1997	तदैव ।
63-	श्री कारी मण्डल	चौकीदार	400=00	29-09-1997	तदैव ।
64-	श्री रामेश्वर पासवान	चौकीदार	300=00	29-09-1997	तदैव ।
65-	श्री रामेश्वर पासवान	चौकीदार	200=00	29-09-1997	तदैव ।
66-	श्री रामलखन ठाकुर	चौकीदार	200=00	29-09-1997	तदैव ।
67-	श्री राम प्रसाद पासवान	चौकीदार	300=00	29-09-1997	तदैव ।
68-	श्री चलित्तर यादव	चौकीदार	200=00	29-09-1997	तदैव ।
69-	श्री हरेराम पासवान	चौकीदार	200=00	29-09-1997	तदैव ।
70-	श्री रामलखन ठाकुर	चौकीदार	200=00	29-09-1997	तदैव ।

लगातार....25/-

श्री हनीफ मियाँ	चौकीदार	200=00	29-09-1997	मतदान केन्द्रों की घेराबन्दी हेतु ।
श्री हनीफ मियाँ	चौकीदार	200=00	29-09-1997	तदैव ।
श्री बारिसलाल पासवान	-	300=00	29-09-1997	तदैव ।
श्री भोगेन्द्र यादव		200=00	29-09-1997	तदैव ।
श्री रामचन्द्र पासवान		300=00	29-09-1997	तदैव ।
श्री रामलखन पासवान		400=00	29-09-1997	तदैव ।
श्री गोपाल सिंह,	प्र०शि०प्र०पदा०बाबूबरही	550=00	19-02-1998	चुनाव कार्य हेतु यात्रा भत्ता ।
श्री रामनारायण राम	पंचायत सेवक	300=00	19-02-1998	तदैव ।
श्री श्याम सुन्दर दास	पंचायत सेवक	51,000=00	19-09-2000	सा०वृ०पेंशन वितरण एवं वेतन के विरु
श्री भुवनेश्वर यादव	पंचायत सेवक	4,900=00	17-03-2002	सा०वृ०पेंशन वितरण हेतु ।
श्री रामाशीष सिंह	पंचायत सेवक	400=00	28-12-2001 09-03-2002	निर्वाचन कार्य हेतु यात्रा भत्ता ।
श्री मुनीन्द्र प्रसाद	पंचायत सेवक	400=00	28-12-2001 10-02-2002	तदैव
श्री कृष्णादेव झा	पंचायत सेवक	500=00	18-01-2002	सा०वृ०पेंशन वितरण हेतु ।
श्री तारानन्द लाल दास	पंचायत सेवक	22,015=00	12-04-2002	तदैव ।
श्री भोगेन्द्र झा	लेखालिपिक	5,000=00	14-12-1999	तदैव ।
श्री राजेश्वर मंडल	पंचायत सेवक	50,300=00	16-01-2002	तदैव ।
श्री लक्ष्मीकान्त केसरी	पंचायत सेवक	45,300=00	18-01-2002	तदैव ।
श्री विनोद कुमार साहु	सहायक	38,455=00	29-03-2002	छात्रवृत्ति वितरण एवं वेतन के विरुद
श्री जीवछ दास	चौकीदार	100=00	17-02-2002 19-02-2002	निर्वाचन कार्य हेतु यात्रा भत्ता ।
श्री लालचन दास	चौकीदार	100=00	तदैव	तदैव ।
श्री अगहनू राम	चौकीदार	100=00	तदैव ।	तदैव ।
श्री बारिसलाल पासवान	चौकीदार	100=00	तदैव ।	तदैव ।
श्री विजय कुमार झा	पंचायत सेवक	7,900=00	17-11-2002 21-12-2002	सा०वृ०पेंशन वितरण हेतु ।

लगातार.....26/-

	श्री राम सोगारथ यादव	जनसेवक	400=00	28-12-2002	विच्छेदन कार्य हेतु यात्रा भत्ता ।
	श्री राम सेवक राम	अभिकर्त्ता	2,000=00	07-07-2000	योजना कार्य हेतु ।
	श्री गौड़ीशंकर सिंह	जनसेवक	400=00	28-12-2001 30-12-2001	विच्छेदन कार्य हेतु यात्रा भत्ता ।
	श्री गोपाल सिंह	प्र०शि०प्र०पदा	1,46,660=00	12-12-2002	प्रोत्साहन भत्ता वितरण हेतु ।
	श्री अबू शम्स	सहायक उर्दू अनुवादक	35,092=00	16-12-2002	वेतन के विरूद्ध अग्रिम ।
	श्री भोगेन्द्र यादव	प्र०अ०, म०वि०मिश्रौलिया	1,000=00	18-12-2000	जनगणना कार्य से यात्रा भत्ता ।
	श्री लक्ष्मी ठाकुर	जीपचालक	12,590=00	09-01-2001 08-11-2001	वेतन के विरूद्ध एवं जीप मरम्मति हेतु ।
	श्री अशोक चन्द्र मिश्रा	कनीय अभियंता	1,335=00	05-01-2002 12-01-2002	आवश्यक कार्य हेतु ।
	श्री राम लखन यादव	चौकीदार	200=00	21-04-2001	चलन्त बूथ बनाने हेतु ।
	श्री हरेराम झा	शंकर फर्नीचर हाउस, मधु०	17,000=00	05-05-2001	योजना का बोर्ड आपूर्त्ति हेतु ।
	श्री दिनेश कुमार	पेन्टर, बाबूबरही	100=00	28-12-2001 05-01-2002	दीवाल पर योजना संबंधी विवरणी लिखने हेतु ।
5-	श्री राजेन्द्र यादव	पंचायत सेवक	100=00	27-03-2002	सा०सु०पेंशन वितरण हेतु ।
6-	श्री दसई साहु	पंचायत सेवक	24,900=00	27-03-2002	तदैव ।
7-	श्री रामबहादुर यादव	पंचायत सेवक	2,100=00	01-04-2002	तदैव ।
8-	श्री सोमन पासवान	पंचायत सेवक	6,200=00	01-04-2002	तदैव ।
9-	श्री परमेश्वर पासवान	पंचायत सेवक	300=00	10-04-2002	तदैव
0-	श्री विश्वम्भर मिश्र	पंचायत सेवक	1,800=00	10-04-2002	तदैव ।
1-	श्री मोहन प्रसाद सिंह	पंचायत सेवक	600=00	11-04-2002	तदैव ।
2-	श्री नारायण झा	सहायक	50,000=00	20-04-2002	इन्दिरा आवास भुगतान हेतु ।
13-	श्री संजीव कुमार वर्मा	पर्यवेक्षक	2,000=00	29-06-2002	मतदाता सूची पुनरीक्षण हेतु यात्राभत्ता

लगातार.....27/-

114- श्री फकीर महतो	पंचायत सेवक	7,500=00	09-10-2002	सा0सु0पेंशन वितरण हेतु ।
115- श्री विश्वम्भर मिश्र	पंचायत सेवक	28,200=00	17-07-2002	तदैव ।
116- श्री नागेन्द्र सहनी	पंचायत सेवक	13,475=00	17-07-2002 / 09-10-2002	तदैव ।
117- श्री दसई साहु	पंचायत सेवक	69,000=00	10-08-2002 / 31-10-2002	तदैव ।
118- श्री दिलीप कुमार सिंह	पंचायत सेवक	17,075=00	16-08-2002 / 11-10-2002	तदैव ।
119- श्री रामशरण सिंह	पंचायत सेवक	6,900=00	17-07-2002 / 25-10-2002	तदैव ।
120- श्री शैलेन्द्र कुमार झा	पंचायत सेवक	7,000=00	17-07-2002 / 25-10-2002	तदैव ।
121- श्री अशर्फी पासवान	पंचायत सेवक	5,650=00	09-10-2002	तदैव ।
122- श्री मो0 यासीन	पंचायत सेवक	15,000=00	16-08-2002	तदैव ।
123- श्री तारानन्द लालदास	पंचायत सेवक	6,650=00	10-08-2002	तदैव ।
124- श्री परमेश्वर पासवान	पंचायत सेवक	19,500=00	10-08-2002 / 25-10-2002	तदैव ।
125- श्री योगेन्द्र प्रतापसिंह	कर्मचारी-सह-पं0से0	23,900=00	10-08-2002 / 09-10-2002	तदैव ।
126- श्री दयानन्द झा	पंचायत सेवक	15,000=00	10-08-2002 / 11-10-2002	तदैव ।
127- श्री राम बहादुर यादव	पंचायत सेवक	37,000=00	20-08-2002	तदैव ।
128- श्री सोमन पासवान	पंचायत सेवक	29,200=00	09-09-2002 / 09-10-2002	तदैव ।
129- श्री जगदीश साहु	जनसेवक-सह-सचिव	4,800=00	25-10-2002 / 09-10-2002	तदैव ।

लगातार.....28/-

30-	श्री राजेन्द्र प्रताद	जनतेवक	20,000=00	09-10-2002	ता0सु0पेंशन बितरण हेतु ।
31-	श्री मोहन प्रतिंह	तचिब-तह-रा0कर्मी0	21,150=00	25-10-2002	तदैव ।

लोक तभा/बिधान तभा निर्वाचन तंबंधी अग्रिम ।
==================================

-	लोक तभा निर्वाचन अग्रिम	18,625=00	बर्ष-1996
-	लोक तभा निर्वाचन अग्रिम	25,112=00	बर्ष-1996
-	लोक तभा निर्वाचन मतदान केन्द्रों की घेराबन्दी	11,600=00	बर्ष-1996
-	लोक तभा निर्वाचन ट्रैक्टर चालक को अग्रिम	3,100=00	बर्ष-1996
-	फोटोग्राफी कार्य हेतु दी गयी अग्रिम	7,300=00	बर्ष-1995
-	बिधान तभा निर्वाचन हेतु दी गई अग्रिम	575=00	बर्ष-1995
-	बिधान तभा निर्वाचन में ट्रैक्टर चालक को अग्रिम	2,500=00	बर्ष-1995
-	बिधान तभानिर्वाचन अग्रिम	32,195=00	22-02-1990
-	लोक तभा निर्वाचन अग्रिम	9,500=00	20-11-1989 / 21-11-1989

कुल योग:- 12,22,128=10

उपर्युक्त तालिका के अबलोकन ते स्पष्ट होता है कि इतनी बड़ी राशि ज्यादातर प्रोत्ताहन भत्ता बितरण/निर्वाचन कार्य/तामाजिक
क्षा पेंशन बितरण/छात्रवृत्ति बितरण आदि मदों में अग्रिम स्वरूप दी गयी है, परन्तु राशि बतूली की दिशा में प्रखंड बिकात पदाधिकारी/प्रखंड नाजी
रा कोई कार्रबाई नहीं की गयी है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है । अग्रिम के प्रयोजन तंबंधी बिबरणी के अबलोकन ते यह भी स्पष्ट होता है कि बहुत ते
र्मियों को बेतन के बिरूद्ध बहुत अधिक तंख्या में अग्रिम दिया गया है, परन्तु उतकी बतूली की दिशा में कोई कार्रबाई नहीं की गयी है । तरकार द्वारा
ाई जा रही बिभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्बितों को भुगतान हेतु जो अग्रिम का भुगतान किया गया है, हो तकता है उतका अभिश्रव कार्यालय
जमा कर दिया गया हो, परन्तु उतके तमायोजन की दिशा में कोई कार्रबाई नहीं की जा रही है । श्री रमानन्द झा, तहायक को 15-04-1998 को
नियादी न्यूनतम तेबा योजना के भुगतान हेतु मो0 4,700/-रूपया, श्री परमेश्बर तिंह, तहायक को 18-05-1999 को बेतन के बिरूद्ध मो0 5000/-रूपया एवं
नारायण झा, तहायक को 20-04-2002 को इन्दिरा आबात योजना के भुगतान हेतु मो0 50,000/-रूपया अग्रिम स्वरूप दिया गया है परन्तु उतकी
ूली की दिशा में कोई कार्रबाई नहीं की गयी है । कार्यालय तहायक को योजना की राशि भुगतान स्वरूप अग्रिम देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं

लगातार...29/-

होता है । श्री झा द्वारा मो0 50,000/-रूपया इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों को भुगतान हेतु अग्रिम स्वरूप ली गयी राशि का कोई अभिश्रव
ी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है,जो बहुत ही गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । अग्रिम समायोजन का मुख्य दायित्व प्रधान सहायक/प्रखंड नाजीर का है,
रन्तु उनके द्वारा वसूली हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि श्री नारायण झा,सहायक
ारा ली गयी मो0 50,000/-रूपया अग्रिम की राशि की वसूली एक सप्ताह के अन्दर कराना सुनिश्चित करें । यदि श्री झा द्वारा राशि जमा नहीं की
ाती है,तो उनके विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाय । साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रधान
हायक/प्रखंड नाजीर भी अपना स्पष्टीकरण दें कि इतनी बड़ी राशि की वसूली हेतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए क्यों नहीं उनके विरूद्ध
ुशासनिक कार्रवाई की जाय । प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रधान सहायक/प्रखंड नाजीर को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम की वसूली हेतु
भियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय । यदि निर्धारित तिथि को राशि का समायोजन अथवा वसूली नहीं हो पाती है तो संबंधित सरकारी
कों के वेतन से राशि काटकर समायोजन किया जाय । अस्थायी अग्रिम के रूप में इतनी बड़ी राशि का समायोजन नहीं होना,गम्भीर वित्तीय
नियमितता एवं गबन का द्योतक है । निरीक्षण के क्रम में उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर मधुबनी को भी निर्देश दिया गया कि अस्थायी अग्रिम
 वसूली की दिशा में साप्ताहिक बैठक में भाग लेकर इसकी समीक्षा की जाय एवं वसूली सुनिश्चित कराया जाय ।

5) अभिश्रव :-

इस प्रखंड में अभिश्रव के रूप में मो0 10,32,202=10 रूपये की राशि सन्निहित है, जिसका सामंजन नहीं हुआ है । निरीक्षण हेतु प्रस्तुत
वरणी में अभिश्रव का विषयवार एवं वर्षवार वर्गीकृत भी नहीं किया गया है, जिससे यह पता नहीं चल पाता है कि संबंधित अभिश्रव किस शीर्ष एवं किस
 का है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि मो0 10,32,202=10 रूपये का वर्षवार/शीर्षवार वर्गीकृत करें । यदि आवंटन उपलब्ध
 तो उसका समायोजन सुनिश्चित करें एवं यदि आवंटन उपलब्ध नहीं हो तो औचित्य के साथ जिला कार्यालय से आवंटन की मांग करें । प्रधान सहायक/
ड नाजीर अभिश्रव का वर्षवार/विषयवार सूची तैयार नहीं करने के लिए अपना स्पष्टीकरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें ।
श्रव के रूप में जो राशि दिखाई गयी है,वह अप्रत्याशित रूप से काफी बढ़ी हुई है, इसमें मितव्ययिता बरतने की आवश्यकता है । प्रखंड विकास
ाधिकारी भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

6) राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम :-

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत विवरणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 1-4-2002 को इस प्रखंड में उपलब्ध खाद्यान्न 9.449.42 क्विंटल

लगातार.....30/-

के विरुद्ध 5,646.38 क्विंटल वितरण किया गया है एवं शेष 3,803.04 क्विंटल वितरण हेतु अवशेष हैं । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अवशेष खाद्यान्न का वितरण अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें ।

§37§ प्रोत्साहन भत्ता :-

इस योजना के अन्तर्गत इस प्रखंड में कुल प्राप्त आवंटन 1,85,570/-रुपये के विरुद्ध 1.20 लाख रुपया वितरण हेतु श्री गोपाल सिंह,उपाधीक्षक को दिया गया है । श्री सिंह को निर्देश दिया गया कि इससे संबंधित अभिश्रव तुरत कार्यालय में समर्पित करें ताकि उसका समायोजन हो सके । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अवशेष राशि का वितरण भी अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें ।

§38§ दशम वित्त आयोग के तहत चलायी जा रही योजना :-

दशम वित्त आयोग के तहत इस प्रखंड में मध्य विद्यालय,भटचौरा में कोचिंग सेन्टर चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमती शीला देवी द्वारा छात्राओं को कोचिंग दिया जा रहा है । इस योजना के तहत कुल प्राप्त आवंटन मो0 40,000/-रुपया में से अब तक मात्र 18,401/-रुपया ही व्यय किया गया है एवं मो0 21,599/-रुपया अवशेष पड़े हुए हैं । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि कोचिंग सेन्टर का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाय ताकि यह पता चल सके कि पठन-पाठन का कार्य ठीक ढंग से हो रहा है अथवा नहीं ।

§39§ प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र :-

इस प्रखंड में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के आधारभूत संरचना मद से प्रखंड परिसर में प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र का निर्माण कराया गया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह को समय-समय पर प्रशिक्षण आदि दिये जाने के साथ-साथ बैठक आदि का भी आयोजन किया जाता है । इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना मद से ही प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र के ऊपर "आत्मा" का भी प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है ।

§40§ जिला योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जिला योजना के तहत इस प्रखंड में कोई योजना नहीं चल रही है परन्तु रोकड़ बही में मो0 9,17 रुपया अवशेष दिखलाया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस राशि को अविलम्ब जिला योजना में लौटा दिया जाय ।

§41§ सांसद ऐच्छिक कोष योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रखंड में माननीय श्री देवेन्द्रप्रसाद यादव, सांसद के ऐच्छिक कोष से कुल 12 योजनाएँ चल रही है

लगातार.....31/=

जिसके विरूद्ध मात्र 7 योजनाएँ पूर्ण हुई है,जो अत्यन्त ही चिन्ताजनक है । इस योजना के अन्तर्गत कुल प्राप्त आवंटन मो0 17,64,000/-रूपये के विरूद्ध मात्र 10,74,000/-रूपया ही व्यय किये गये हैं। अभी भी मो0 6,90,000/-रूपया अवशेष है। कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है,जो बहुत ही खेदजनक है । प्रत्येक माह अधोहस्ताक्षरी द्वारा आयोजित विकास कार्यों की बैठक में बार-बार समय-सीमा निर्धारित किये जाने के बावजूद भी योजनापूर्ण नहीं करायी जा रही है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि बैठक के दौरान दिये गये निर्देश के आलोक में समय-सीमा के अन्दर योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । यदि योजनापूर्ण नहीं होती है तो संबंधित कार्यकारी एजेन्सी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे एवं उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उनके पैतृक विभाग को सूचित कर दिया जायगा ।

§42§ विधायक/पार्षद ऐच्छिक कोष योजना :-

इस प्रखंड में विधायक/पार्षद कोष योजनान्तर्गत कुल 14 योजनाएँ चल रही है,जिसके विरूद्ध मात्र 7 योजनाएँ ही पूरी हुई है,जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है । निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि 14 योजनाएँ कौन-कौन सी है एवं उनकी स्थिति क्या है । यही स्थिति सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की भी है । प्रखंड विकास पदाधिकारी अपना स्पष्टीकरण दें कि ऐसा प्रतिवेदन क्यों दिया गया है । इस योजनान्तर्गत कुल प्राप्त आवंटन मो0 11,67,000/-रूपये के विरूद्ध मात्र 6,48,563/-रूपये ही व्यय किये गये हैं,जो बहुत ही गम्भीर विषय है । इस संबंध में भी मासिक बैठक में योजनावार समीक्षा की जाती है,परन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि लंबित योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा ।

§43§ सुनिश्चित रोजगार योजना:-

प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि इस प्रखंड में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कुल 10 योजनाएँ चल रही है,जिसके विरूद्ध मात्र 2
योजना ही पूर्ण हो पाई है एवं 8 योजनाएँ लंबित है । स्थिति अत्यन्त ही दुःखद एवं गम्भीर है । निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह उल्लेख नहीं किया
गया कि 10 योजनाएँ कौन-कौन सही है एवं उनकी स्थिति क्या है । प्रधान सहायक इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध अनुशासनि
कार्रवाई की जाय । इस योजना के तहत कुल प्राप्त आवंटन मो0 26,29,675/-रूपये के विरूद्ध मात्र 1,25,023/-रूपया ही व्यय किया गया है । इस प्रकार
अवशेष मो0 25,04,652/-रूपया होना चाहिए,परन्तु प्रतिवेदन में रोकड़ बही के आधार पर अवशेष राशिमो0 16,53,397/-रूपया दर्शाया गयाहै ।
प्रखंड विकास पदाधिकारी अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करें कि ऐसाविसंगति क्यों हुआ । साथ ही उन्हें निर्देश दिया जाता है कि मासिक बैठक में दिये गये
समय-सारणी के तहत योजना पूर्ण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाईकरें अन्यथा संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता के साथ-साथ प्रखंड विकास

लगातार...32/-

पदाधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे ।

§44§ इन्दिरा आवास योजना§80 %§ :-

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार इस प्रखंड में इन्दिरा आवास योजना§80%§ के तहत कुल 297 योजनाएँ चल रही है,जिसके विरूद्ध मात्र 55 योजनाएँ पूर्ण हुई है,जो अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है । इस योजना के तहत इस प्रखंड को कुल प्राप्त आवंटन 64,37,310/-रूपये के विरूद्ध मात्र 19,54,536/-रूपया ही वितरण किया गयाहै । स्थिति शर्मनाक है । प्रखंड विकास पदाधिकारी अपना स्पष्टीकरण दें कि योजनाएँ पूर्ण कराने में क्या कठिनाई है । मासिक बैठक में भी योजनाएँ पूर्ण कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा बार-बार निर्देश दिया जाता है परन्तु स्थिति ज्यों कि त्यों बनी हुई है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि कैम्प आयोजित कर राशि वितरण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरीको भेजनासुनिश्चित करें ।

§45§ इन्दिरा आवास योजना§20 %§ :-

इन्दिरा आवास योजना §20 %§ के तहत इस प्रखंड में कुल 164 योजनाएँ चल रही हैं,जिसमें से अभी तक मात्र 64 योजनाएँ ही पूर्ण हो पाई है । उक्त 164 योजनाएँ किस-किस पंचायत में चल रही है एवं उसकी प्रगति क्या है,के संबंध में कोई प्रतिवेदन निरीक्षण टिप्पणी में उल्लेख नहीं किया गया है,जो गम्भीर विषय है । प्रधान सहायक/प्रभारी सहायक अपनास्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त लापरवाही के लिए उन्हें क्यों नहीं दोषी मानाजाय । इस योजना के तहत कुल प्राप्त आवंटन मो0 19,19,050/-रूपये के विरूद्ध मात्र 4,61,000/-रूपये ही वितरण किया गया है,जो संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी अपना स्पष्टीकरण देते हुए अवशेष राशिका वितरण कैम्प लगाकर वितरण करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

§46§ बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम :-

इस योजना के अन्तर्गत कुल 75 इकाई के विरूद्ध मात्र 6 इकाई पूर्ण किया गया है । इस योजना के तहत इस प्रखंड को मो0 7,27,500/-रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ,जिसके विरूद्ध मात्र 1,21,465/-रूपये ही व्यय किये गये हैं । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि शेषराशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ,मधुबनी को लौटादिया गया है ।

§47§ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना §80%§ :-

इस योजना के अन्तर्गत कुल 78 इकाई इस प्रखंड में दर्शायागयाहै,जिसके विरूद्ध मात्र 17 इकाई पूर्ण हुई है एवं शेष इकाई लंबित है । इस

लगातार....33/-

योजना के अन्तर्गत इस प्रखंड को प्राप्त कुल आवंटन मो० 9,79,500/-रूपये के विरूद्ध मो० 4,04,000/-रूपये ही व्यय किये गये हैं एवं अवशेष राशि मो० 5,75,500/-रूपये हैं । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित योजनाओं को पूर्ण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ।

§48§ प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना§20 %§ :-

इस योजना के अन्तर्गत कुल 78 इकाई के विरूद्ध मात्र 17 इकाई पूर्ण हुई है एवं 61 इकाई अपूर्ण है । इस योजना के तहत कुल प्राप्त आवंटन मो० 3,48,000/-रूपये के विरूद्ध मात्र 76,000/= रूपये ही व्यय किये गये हैं एवं शेष मो० 2,72,000/-रूपया अवशेष हैं । प्रखंड विकास पदाधिकारी को योजनाएँ पूर्ण कराने में कोई अभिरूचि नहीं है । इस योजना के अन्तर्गत भी पूर्ण एवं अपूर्ण योजनाओं की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है,जो दुःखद है ।

§49§ जवाहर रोजगार योजना :-

बताया गया कि इस प्रखंड में इस योजना के अन्तर्गत कुल 211 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 169 योजनाएँ पूर्ण की गयी है एवं 42 योजनाएँ लंबित है । बताया गया कि कार्य प्रगति पर है । इस योजना के अन्तर्गत कुल प्राप्त आवंटन मो० 20,90,462/-रूपये के विरूद्ध मात्र 17,65,505/-रूपये व्यय किये गये हैं । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि शेष योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अन्यथा राशि वापस करें ।

§50§ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत कुल उपलब्ध खाद्यान्न 1850 क्विंटल के विरूद्ध 1280 क्विंटल खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है एवं 570 क्विंटल खाद्यान्न वितरण हेतु लंबित है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि इस योजना के तहत पंचायतों में संबंधित मुखिया के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करावें ।

§51§ राष्ट्रीय वृद्धावस्थापेंशन योजना :-

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत इस प्रखंड में 1081 लाभान्वितों को पेंशन का भुगतान किया जा रहाहै । बताया गयाकि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दिनांक 30-9-2002 तक पेंशन काभुगतान किया जा चुका है,परन्तु राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजना के लिए एक ही पंजी संधारित किया गया है । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि दिनांक 17-12-2002 तक इस योजना के तहत मो० 4,59,948/-रूपये अवशेष हैं, जबकि निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में मो० 5,11,191/-रूपया अवशेष दिखलाया गयाहै । प्रखंड विकास पदाधिकारी अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों हुआ । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि अवशेष राशि का वितरण 31-12-2002 तक कराना सुनिश्चित करें ।

लगातार....34/-

§52§ राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन :-

राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत इस प्रखंड में 582 लाभान्वितों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । बताया गया कि इस योजना के तहत दिनांक 31-3-2002 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु इस योजना के लिए अलग से पंजी संधारित नहीं किया गया है । राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिनांक 17-12-2002 तक मो0 6,00,562/-रुपया अवशेष दिखलाया गया है । इस राशि को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी में जमा करने का निर्देश पूर्व में दिया गया था, जिसके विरुद्ध 2.85 लाख रुपया चलान द्वारा जमा कर दिया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि शेष राशि अविलम्ब सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा करें ।

§53§ राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :-

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत इस प्रखंड में कुल उपलब्ध राशि मो0 35,000/-रुपये के विरुद्ध मात्र मो0 10,000/-रुपये ही वितरित किया गया है। बताया गया कि मो0 सीता देवी, ग्राम-मुरहदी का एक भुगतान मो0 10,000/-रुपये का अभी तक नहीं किया गया है । इस संबंध में पूछने पर बताया गया कि इसकी जाँच की जा रही है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि यदि राशि वितरण योग्य नहीं है तो उसे अविलम्ब सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी को लौटाना सुनिश्चित करें । पंजी का संधारण भी सही ढंग से नहीं किया गया है, जिसे सही ढंग से संधारित करने का निर्देश दिया जाता है ।

§54§ राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना :-

इस योजना के तहत उपलब्ध राशि के लिए अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया है, जो खेदजनक है । प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग-अलग खाता खोलने के लिए पूर्व में ही कई बार निर्देश दिया जा चुका है, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी के माध्यम से दें । इस योजना में मो0 8000/- रुपया अवशेष है, जिसका भुगतान किया जाना आवश्यक है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अवशेष राशि का भुगतान अविलम्ब सुनिश्चित करें । यदि राशि भुगतान योग्य नहीं है, तो उसे वापस लौटा दिया जाय । साथ ही वर्ष 1995 से लेकर अद्यतन वर्ष तक सभी स्वीकृत लाभार्थियों का पूर्ण ब्योरा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ताकि उसका कम्प्यूटराईजेशन कराया जा सके ।

§55§ अन्नपूर्णा योजना :-

अन्नपूर्णा योजना के तहत कुल लक्ष्य 398 के विरुद्ध 388 चयनित किया गया है एवं 10 अभी भी रिक्त हैं । प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन

लगातार....35/-

से स्पष्ट होता है कि कुल प्राप्त गेहूँ एवं चावल 318.40 क्विंटल के विरुद्ध 238.00 क्विंटल वितरण किया गया है एवं 80.00 क्विंटल वितरण करने हेतु अवशेष है । बताया गया कि माह-दिसम्बर, 2002 तक आवंटित कर दिया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अवशेष गेहूँ का आवंटन अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें ।

§56§ छात्रवृत्ति :-

इस प्रखंड में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति के मद में कुल प्राप्त आवंटन मो0 1,79,155/-रूपये के विरुद्ध अभी तक मात्र 41,030/-रूपया ही व्यय किया गया है, जो चिन्ताजनक स्थिति है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी पंचायतों में मुखिया को राशि उपलब्ध करा दिया जाय एवं राशि का वितरण अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को भुगतान कराया जाय । यदि मुखिया द्वारा राशि वितरण नहीं की जाती है तो संबंधित मुखिया के विरुद्ध अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय । साथ ही इसकी साप्ताहिक समीक्षा भी की जाय । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसका अनुश्रवण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जो खेद की बात है ।

§57§ बालिका समृद्धि योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत इस प्रखंड में कुल उपलब्ध राशि मो0 14,000/- के विरुद्ध मात्र 3,500/-रूपये ही व्यय किया गया है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अवशेष राशि का वितरण अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय ।

§58§ निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस प्रखंड का कार्यकलाप बिल्कुल ही संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यालय पर कोई पकड़ नहीं है । बिल्कुल ही संवेदनशील नहीं है । बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी कार्यक्रमवार सभी खाता एवं पंजी का संधारण नहीं किया गया है । अधिकांश राशि चालू खाता में रखा गया है, जिसे अविलम्ब बन्द किया जाय एवं राशि को बचत खाता में रखा जाय । सभी कार्यक्रम के लिए एक पासबुक, एक चेक बुक एवं एक सहायक रोकड़ बही का संधारण सुनिश्चित किया जाय । प्रत्येक माह में बैंक से रिकौन्सीलियेशन कराया जाय । पंजियों का रख-रखाव भी ठीक नहीं है । मुख्यतः अस्थायी अग्रिम एवं अग्रिम की राशि की छानबीन कर समायोजित करने की आवश्यकता है । बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है । इस निरीक्षण के दौरान जो निर्देश दिया गया है, उसका अनुपालन करने पर निश्चित रूप से सुधार हो सकता

लगातार.....36/-

है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

Brajendra 24.1.2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञाप संख्या 215 ।जिला विकास, मधुबनी, दिनांक 25 जनवरी, 2003 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाबूबरही को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Brajendra 24.1.2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।